राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3213/2024

महेश कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त सचिव, कार्मिक विभाग (के–2), राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, बांरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.10.2024
आदेश की दिनांक : 07.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेंद्र पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के पिता स्व. श्री हरीशचंद मीना की मृत्यु दिनांक 21.04.2007 को तहसील मांगरोल, जिला बारां में कार्यालय कानूनगो के पद पर सेवाकाल के दौरान हो गई थी। अपीलार्थी ने आश्रित होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया तथा उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे जिला बारां द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.07.2007 द्वारा एल.डी.सी. के पद पर कलेक्टर, बारां में नियुक्ति प्रदान की गई। (अनुलग्नक–1) कार्मिक विभाग के दिनांक 13.03.2006 के परिपत्र के अनुसार, अपीलार्थी ने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान शुरू में 3000/– रुपये प्रति माह का निश्चित पारिश्रमिक दिया था। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद याचिकाकर्ता को 6100/– रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है।

अपीलार्थी ने भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 31.12.2014 को आयोजित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अतः उसे टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वेतन वृद्धि देय होगी। विभागीय पदोन्नति समिति दिनांक 31.08.2021 द्वारा वर्ष 2021–22 के विरुद्ध की गई अनुशंसा के आधार पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध में जिला कलेक्टर बारां के कार्यालय द्वारा दिनांक 06.09.2021 को पारित आक्षेपित आदेश, उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम लाभ प्राप्त करने से स्थगित किया जाता है। उक्त आदेश में स्पष्टतः कहा गया है कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में पदोन्नति का लाभ स्थगित कर दिया गया है एवं अन्य 9 कर्मचारियों की पदोन्नति का लाभ स्थगित कर दिया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को जिला कलेक्टर, बारां, राजस्थान के कार्यालय में 9 वर्ष से अधिक समय तक संतोषजनक सेवाएं देने के बाद भी पदोन्नति का लाभ न दिए जाने तथा एसीपी का लाभ न दिए जाने के बारे में विस्तृत अभ्यावेदन दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जिला कलेक्टर, बारां के कार्यालय ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ देने और 9 वर्ष से अधिक की सफल सेवा के बाद एसीपी का लाभ देने का निर्देश प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य